

पेंशन अदायगी आदेश
PENSION PAYMENT ORDER

संवितरक का भाग

Disburser's Portion

..... सरकार को डेबिट हो
Debitable to... Karnataka Government

लेखा शीर्ष/Head of Account 2071 PRORB 01 civil 1053

मुख्य शीर्ष/Major Head

लघु शीर्ष/Minor Head

दस्तपत/Voted

प्रभारित/Charged

DIA 28.12.87



पहली अदायगी के बायम पेंशनभोगी के हस्ताक्षर लेने के लिए स्थान

Place for signature of pensioner to be taken at the time of first payment.

5948

नाम Names	पेंशन का वर्ष और शुरू होने की तारीख Class of pension and the date of commencement	मुंह पा हाथ पर वैयक्तिक पहचान का निशान, यदि कोई हो Personal Identifi- cation-mark on face or hand, if any	कद Height	जन्म की तारीख/ अनुमानित तारीख Date or approximate date of birth	धर्म और राष्ट्रियता Religion and nationality	निवास स्थान गांव और परगना सहित Residence showing village and pargana	मासिक पेंशन की राशि Amount of monthly pension
Smt. H.N. Vanajakshi W/o late Pultarajulu	Family	—	—	—	Indian	No-30 Ist Main, 29-12-87 to I st stage, 28.12.94 & ✓ Phase, 490=00 PM West of chord Rd, net 29-12-94 Rajajinagar, onwards for life to Blore (Cease on	980=00 PH wef 29-12-87 to 28.12.94 & 490=00 PM net 29-12-94 onwards for Rajajinagar, life to Blore (Cease on

1.

2. परिवार पेंशन
Family Pension

पश्चात भोगी की मृत्यु की तारीख

Date of death of the Pensioner

(बजाना अधिकारी द्वारा लिखी और साध्यांकित की जाये)

(To be filled in and assessed by the Treasury Officer)

Tamaraage

का कार्यालय

OFFICE OF THE

संदेश

No.

PA2/G/PPD No. 10979/FP/BNG

तारीख
the

21-4-1988

19

19

19

DA Rs 70=00 PH
(Seven hundred)

Wet 29-12-87

महोदय
Sir

अगली सूचना प्राप्त होने तक और प्रत्येक मास के समाप्त होने पर कृपया को
इस आदेश का पेंशनभोगी वाला भाग प्रस्तुत करने पर पेंशन के प्रति रूपये (आयकर निकालकर) अदा करें जो

द्वारा पत्र संभाया म संस्कृत की गई तथा दावेदार से सामन्य फार्म पर उस राशि के लिए एक
रसीद ले ल। अदायगी से शुरू होने चाहिए।

UNTIL FURTHER NOTICE, and on the expiration of every month be pleased to pay to Smt. H.N. Vanajakshi
the sum of Rupees (less Income-tax), being the amount of Family PENSION, as DA

upon the production of the Pensioner's portion of this order taking from the claimant a receipt of the amount according to usual form. The
payment should commence from 29th December 1987

Rs. Nine hundred and eighty only from 29-12-87 to 28-12-94
Rs. Four hundred and ninety only from 29-12-94 onwards.

PPT/Pmt 8808 21-4-88 Delhi

संवितरण के भाग का पृष्ठ नम्बर Rs 28400/20
REVERSE OF DISBURSER'S PORTION
(c) 265-95 upto 0042

2. श्री/श्रीमती मृत्यु होने पर श्री/श्रीमती को १० प्रतिमास की परि
भी पहले हो, अदा की जाए। (पेंशन की अदायगी विधवा/विवृत से मृत्यु प्रमाण-पत्र और प्रार्थना-पत्र का फार्म प्राप्त होने पर की जाए।)
In the event of the death of Shri/Smt. Smt/Smt.
family pension of Rs. per month, may be paid
from the day following the date of
till the date of his/her re-marriage or
whichever is earlier (on receipt of death certificate and Form of Application from widow/widower).

सेवा में/To

Dise

बजाना अधिकारी/The Treasury Officer, PPT

पदनाम/Designation

S. D. Sealee

(स्थान)/(at) Blore

Accounts Officer

टिप्पणी-1. यदि किसी लेनदार को किसी पेंशनभोगी से कोई पैसा लेना हो तो उसके कहने पर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा उसे (पेंशनभोगी) पेंशन अधिग्रहण, कुक्क अथवा जब्त नहीं की जा सकती (1871 के अधिनियम XXIII की धारा II)।
Note. No pension shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any Court in India at the instance of a creditor any demand against the pensioner (Section II, Act XXIII of 1871).

2. निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त इस आदेश के अन्तर्गत अदायगी के बाल पेंशन भोगी को ही व्यक्तिगत रूप म करती है :

(क) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से इस की छट दी गई हो।

(द) To persons specially exempted by Government.

(ख) जनता की सामने निकलने में अनभ्युत महिलायों को और बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण स्वयं उपस्थित होने असम्भव व्यक्तियों को।

(ब) To females unaccustomed to appear in public and to persons unable to appear on account of illness or bodily infirmity.

(क) और (ख) दोनों मालियों में अदायगी, किसी उत्तरदायी सरकारी अधिकारी द्वारा या अन्य विश्वसनीय प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा जीवित रहने का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है।

Payment in both cases (a) and (b) is made on production of a Life Certificate signed by a responsible Officer of Government or other well known and trustworthy person.

(ग) ऐसे व्यक्ति को जो निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र भेजता है :—

दंड ब्रिक्षिया संहिता के अन्तर्गत किसी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या भारतीय पंजिकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत नियुक्त कोई पंजीयक या उप-पंजीयक अथवा कीई ऐसा पेंशन प्राप्त अधिकारी जो निवृत्ति से पहले मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करता रहा हो, या कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई मुसिफ अथवा ऐसा पुलिस अधिकारी जिसका दर्जा किस थाने के प्रभारी दरोगा से कम न हो या कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप-पोस्टमास्टर, या डाक निरीक्षक अथवा रिजर्व बैंक आप इंडिया का कोई प्रथम थेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक आफ इंडिया का कोई स्टाफ अधिकारी या स्टेट बैंक की किसी शाखा में लेखाकार अथवा एजेन्ट के रूप में नियुक्त उप-लेखाकार या स्टेट बैंक की ब्रांच का लेखाकार या स्टेट बैंक आफ इंडिया के किसी सहायक बैंक का अधिकारी या बिलेज पंचायत ग्राम पंचायत का प्रधान या गांव पंचायत का प्रधान या विलेज की कायकरी समिति के प्रधान द्वारा।

(c) To any person sending a Life Certificate signed by some person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure Code, or by any Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908, or by any pensioner, Officer who, before retirement exercised the powers of a Magistrate, or by any Gazetted officer, or by a munsiff or by a police Officer not below the rank of Sub-Inspector In-Charge of a Police Station, or by a Post Master, Departmental Sub-Post Master, or an Inspector of Post Offices or by a Class I Officer of the Reserve Bank of India or a staff officer of the State Bank of India or a sub-Accountant appointed as an agent or as an Accountant at a branch of a State Bank or an officer of a subsidiary bank of the State Bank of India or by the Head of a Village Panchayat, Gram Panchayat, or Gaon Panchayat, or by the Head of an Executive Committee of a village.

(d) किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में रहता हो परन्तु जो किसी ऐसे एजेन्ट के माध्यम से अपनी पेंशन लेता हो जिसने अधिक अदायगीयों की वापसी के लिए एक बैंधपत्र प्रस्तुत कर रखा हो वश्वते कि वह एजेन्ट वष में कम से कम एक बार खंड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(e) To any person resident in India who draws his pension through an agent who has executed a bond to refund overpayments, subject to the condition that the latter produces at least once a year a Life certificate signed by a person mentioned in clause (c). (ख) खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सभी मालियों में संवितरण अधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार जीवित रहने के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त पेंशनभोगी के निरन्तर जीवित रहने का एक और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवश्यकता होगी।

(f) (ख) में उल्लिखित मालियों अन्तिम बार जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तारीख के बाद एक वष से अधिक अवधि के लिए पेंशन अदा नहीं की जाएगी और संवितरण अधिकारी को ऐसे किसी पेंशन भोगी की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी सचना मिलने पर तत्काल पेंशन की आगे की अदायगीयों रोक देनी चाहिए।

(g) In all classes referred to in clauses (a), (b) and (c) the Disbursing Officer must at least once a year, require proof independent of that furnished by the Life Certificate, of the continued existence of the Pensioner. In cases referred to in Clause (d) the pension shall not be paid on account of a period more than a year after the date of Life Certificate last received and the Disbursing Officer must be on the watch for authentic information of the decease of any such Pensioner, and on receipt thereof, shall promptly stop further payments.

3. उदारीकृत पेंशन नियमावली द्वारा शामिल किसी पेंशनभोगी को निवृत्त होने की तारीख से पांच वष के अन्दर १ मृत्यु हो जाने पर संवितरण अधिकारी को निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :—

In the event of the death of a pensioner governed by the Liberalised Pension Rules within a period of five years from the date of retirement the Disbursing Officer should take the following action :—

(i) निश्चित परिस्थितियों में, उदारीकृत पेंशन नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान से सम्बन्ध वकाया रकम अदा की गई या देय हो, और Intimation regarding the benefits of family pensions and/or residuary gratuity admissible under the Liberalised Pension Rules under certain circumstances should be sent to the person to whom arrears of pension are paid or are payable under Rules 370 of the Central Treasury Rules Vol. I, and

(ii) पेंशन भोगी की मृत्यु की सूचना उस समय तक प्रदत्त पेंशन के विवरण आदि सहित कार्यालय/विभाग अध्यक्ष को भेज देनी चाहिए, ताकि वह परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान मंजर करने के लिए आगे कार्यवाही कर सके। Intimation about the death of the pensioner should be sent to the Head of the Office/Department along with a statement of pension etc. so far paid, in order to enable him to take further action regarding grant of family pension and/or residuary gratuity.

पेंशन की राशि (शब्दों में) Amount of pension Rs. in words 12-5-88

यह ब्रेलेख संवितरण अधिकारी को प्राधिकार पत्र के प्रभा वीरहने तक इस ढंग से रखना चाहिए कि वह पेंशनभोगी की पहुंच से बाहर नहीं। इसके अलग अदायगी नीचे दर्ज की जानी चाहिए : This document is to be retained by the Disbursing Officer so long as the authority remains in force in such manner that the Pensioner shall have no access to it. Every separate payment is to be recorded below:

	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19
	वह मास जिसके लिए पेंशन देय है Month for which pension is due	अदाय- अधिकारी के गियों की आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मार्च March	अप्रैल April	मई May	जून June	जुलाई July	अगस्त August	सितम्बर September	अक्टूबर October	नवम्बर November	दिसम्बर December	जनवरी January	फरवरी February

*पेंशनभोगी की पहचान के बारे में टिप्पणी Note of Pensioner's Identification	तारीख Date	आदायकर Initials	तारीख Date								

*यदि अदायगी डाक मनीआडर द्वारा की जाय तो पहचान की आवश्यकता विहित रूप से वर्ष में दो बार अन्यथा एक बार होती है।
*If the payment is by Postal Money Order identification is required twice a year as prescribed otherwise annually.
प्रभासमु

No. PVX/1 R2 / D 5419

दस्तावेज़ पृष्ठ (त) - 43
M. S. O. (T)-43कार्य 43
FORM 43

[देखिए पैरा 306/See Paragraph 306]

पेंशन अदायगी आदेश
PENSION PAYMENT ORDER

संवितरक का भाग

Disburser's Portion

..... सरकार को डेबिट हो
Debitable to... Karnataka Government

लेखा शीर्ष/Head of Account 2071 PRORB 01 civil 1053

मुख्य शीर्ष/Major Head

लघु शीर्ष/Minor Head

दस्तपत्र/Voted

प्रभारित/Charged

DIA 28.12.87



पहली अदायगी के बायम पेंशनभोगी के हस्ताक्षर लेने के लिए स्थान

Place for signature of pensioner to be taken at the time of first payment.

5948

नाम Names	पेंशन का वर्ष और शुरू होने की तारीख Class of pension and the date of commencement	मुंह पा हाथ पर वैयक्तिक पहचान का निशान, यदि कोई हो Personal identi- fication-mark on face or hand, if any	कद Height	जन्म की तारीख/ अनुमानित तारीख Date or approximate date of birth	धर्म और राष्ट्रियता Religion and nationality	निवास स्थान गांव और परगना सहित Residence showing village and pargana	मासिक पेंशन की राशि Amount of monthly pension
Smt. H.N. Vanajakshi W/o late Pultarajulu	Family	—	—	—	Indian	No-30 Ist Main, 29-12-87 to I st stage, 28.12.94 & ✓ Phase, 490=00 PM West of chord Rd, net 29-12-94 onwards for Rajajinagar, life to live cease on	980=00 PH wef 29-12-87 to 28.12.94 & 490=00 PM net 29-12-94 onwards for Rajajinagar, life to live cease on

1.

2. परिवार पेंशन
Family Pension

पश्च भोगी की मृत्यु की तारीख

Date of death of the Pensioner

(बजाना अधिकारी द्वारा लिखी और साध्यांकित की जाये)

(To be filled in and assessed by the Treasury Officer)

Family marriage

का कार्यालय

OFFICE OF THE

संख्या

No.

PA2/G/PPD No. 10979/FP/BNG

तारीख
the

21-4-1988

19

19

19

DA Rs 70=00 PH
(Seven hundred)

Wet 29-12-87

महोदय
Sirअगली सूचना प्राप्त होने तक और प्रत्येक मास के समाप्त होने पर कृपया को
इस आदेश का पेंशनभोगी वाला भाग प्रस्तुत करने पर पेंशन के प्रति रूपये (आयकर निकालकर) अदा करें जो

द्वारा पत्र संभया म संस्वीकृत की गई तथा दावेदार से सामन्य फार्म पर उस राशि के लिए एक

रसीद ले ल। अदायगी से शुरू होने चाहिए।

UNTIL FURTHER NOTICE, and on the expiration of every month be pleased to pay to Smt. H.N. Vanajakshi
the sum of Rupees (less Income-tax), being the amount of Family

(PENSION, as DA upon the production of the Pensioner's portion of this order taking from the claimant a receipt of the amount according to usual form. The

payment should commence from 29th December 1987

Rupees nine hundred and eighty only from 29-12-87 to 28-12-94
and Rupees four hundred and ninety only from 29-12-94 onwards.

PPT/Pmt 8808 21-4-88 Delhi

संवितरण के भाग का पृष्ठ नम्बर Rs 28400/20
REVERSE OF DISBURSER'S PORTION
(c) 265-95 upto 0042

2. श्री/श्रीमती मृत्यु होने पर श्री/श्रीमती को १० प्रतिमास की परि
भी पहले हो, अदा की जाए। (पेंशन की अदायगी विधवा/विवृत से मृत्यु प्रमाण-पत्र और प्रार्थना-पत्र का फार्म प्राप्त होने पर की जाए।)
In the event of the death of Shri/Smt. Smt/Smt.
family pension of Rs. per month, may be paid
from the day following the date of
till the date of his/her re-marriage or
whichever is earlier (on receipt of death certificate and Form of Application from widow/widower).

सेवा में/To

Dise

बजाना अधिकारी/The Treasury Officer, PPT

पदनाम/Designation

S. D. Sealee

(स्थान)/(at) Blore

Accounts Officer

टिप्पणी-1. यदि किसी लेनदार को किसी पेंशनभोगी से कोई पैसा लेना हो तो उसके कहने पर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा उसे (पेंशनभोगी) पेंशन अधिग्रहण, कुक्क अथवा जब्त नहीं की जा सकती (1871 के अधिनियम XXIII की धारा II)।
Note. No pension shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any Court in India at the instance of a creditor any demand against the pensioner (Section II, Act XXIII of 1871).

2. निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त इस आदेश के अन्तर्गत अदायगी के बाल पेंशन भोगी को ही व्यक्तिगत रूप म करती है :

(क) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से इस की छट दी गई हो।

(द) To persons specially exempted by Government.

(ख) जनता की सामने निकलने में अनभ्युत महिलायों को और बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण स्वयं उपस्थित होने असम्भव व्यक्तियों को।

(ब) To females unaccustomed to appear in public and to persons unable to appear on account of illness or bodily infirmity.

(क) और (ख) दोनों मालियों में अदायगी, किसी उत्तरदायी सरकारी अधिकारी द्वारा या अन्य विश्वसनीय प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा जीवित रहने का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है।

Payment in both cases (a) and (b) is made on production of a Life Certificate signed by a responsible Officer of Government or other well known and trustworthy person.

(ग) ऐसे व्यक्ति को जो निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र भेजता है :—

दंड ब्रिक्षिया संहिता के अन्तर्गत किसी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या भारतीय पंजिकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत नियुक्त कोई पंजीयक या उप-पंजीयक अथवा कीई ऐसा पेंशन प्राप्त अधिकारी जो निवृत्ति से पहले मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करता रहा हो, या कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई मुसिफ अथवा ऐसा पुलिस अधिकारी जिसका दर्जा किस थाने के प्रभारी दरोगा से कम न हो या कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप-पोस्टमास्टर, या डाक निरीक्षक अथवा रिजर्व बैंक आप इंडिया का कोई प्रथम थेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक आफ इंडिया का कोई स्टाफ अधिकारी या स्टेट बैंक की किसी शाखा में लेखाकार अथवा एजेन्ट के रूप में नियुक्त उप-लेखाकार या स्टेट बैंक की ब्रांच का लेखाकार या स्टेट बैंक आफ इंडिया के किसी सहायक बैंक का अधिकारी या बिलेज पंचायत ग्राम पंचायत का प्रधान या गांव पंचायत का प्रधान या विलेज की कायकरी समिति के प्रधान द्वारा।

(c) To any person sending a Life Certificate signed by some person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure Code, or by any Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908, or by any pensioner, Officer who, before retirement exercised the powers of a Magistrate, or by any Gazetted officer, or by a munsiff or by a police Officer not below the rank of Sub-Inspector In-Charge of a Police Station, or by a Post Master, Departmental Sub-Post Master, or an Inspector of Post Offices or by a Class I Officer of the Reserve Bank of India or a staff officer of the State Bank of India or a sub-Accountant appointed as an agent or as an Accountant at a branch of a State Bank or an officer of a subsidiary bank of the State Bank of India or by the Head of a Village Panchayat, Gram Panchayat, or Gaon Panchayat, or by the Head of an Executive Committee of a village.

(d) किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में रहता हो परन्तु जो किसी ऐसे एजेन्ट के माध्यम से अपनी पेंशन लेता हो जिसने अधिक अदायगीयों की वापसी के लिए एक बैंधपत्र प्रस्तुत कर रखा हो वश्वते कि वह एजेन्ट वष में कम से कम एक बार खंड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(e) To any person resident in India who draws his pension through an agent who has executed a bond to refund overpayments, subject to the condition that the latter produces at least once a year a Life certificate signed by a person mentioned in clause (c). (ख) खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सभी मालियों में संवितरण अधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार जीवित रहने के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त पेंशनभोगी के निरन्तर जीवित रहने का एक और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवश्यकता होगी।

(f) (ख) में उल्लिखित मालियों अन्तिम बार जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तारीख के बाद एक वष से अधिक अवधि के लिए पेंशन अदा नहीं की जाएगी और संवितरण अधिकारी को ऐसे किसी पेंशन भोगी की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी सचना मिलने पर तत्काल पेंशन की आगे की अदायगीयों रोक देनी चाहिए।

(g) In all classes referred to in clauses (a), (b) and (c) the Disbursing Officer must at least once a year, require proof independent of that furnished by the Life Certificate, of the continued existence of the Pensioner. In cases referred to in Clause (d) the pension shall not be paid on account of a period more than a year after the date of Life Certificate last received and the Disbursing Officer must be on the watch for authentic information of the decease of any such Pensioner, and on receipt thereof, shall promptly stop further payments.

3. उदारीकृत पेंशन नियमावली द्वारा शामिल किसी पेंशनभोगी को निवृत्त होने की तारीख से पांच वष के अन्दर १ मृत्यु हो जाने पर संवितरण अधिकारी को निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :—

In the event of the death of a pensioner governed by the Liberalised Pension Rules within a period of five years from the date of retirement the Disbursing Officer should take the following action :—

(i) निश्चित परिस्थितियों में, उदारीकृत पेंशन नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान से सम्बन्ध वकाया रकम अदा की गई या देय हो, और Intimation regarding the benefits of family pensions and/or residuary gratuity admissible under the Liberalised Pension Rules under certain circumstances should be sent to the person to whom arrears of pension are paid or are payable under Rules 370 of the Central Treasury Rules Vol. I, and

(ii) पेंशन भोगी की मृत्यु की सूचना उस समय तक प्रदत्त पेंशन के विवरण आदि सहित कार्यालय/विभाग अध्यक्ष को भेज देनी चाहिए, ताकि वह परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान मंजर करने के लिए आगे कार्यवाही कर सके। Intimation about the death of the pensioner should be sent to the Head of the Office/Department along with a statement of pension etc. so far paid, in order to enable him to take further action regarding grant of family pension and/or residuary gratuity.

पेंशन की राशि (शब्दों में) Amount of pension Rs. in words 12-5-88

यह ब्रेलेख संवितरण अधिकारी को प्राधिकार पत्र के प्रभा वीरहने तक इस ढंग से रखना चाहिए कि वह पेंशनभोगी की पहुंच से बाहर नहीं। इसके अलग अदायगी नीचे दर्ज की जानी चाहिए : This document is to be retained by the Disbursing Officer so long as the authority remains in force in such manner that the Pensioner shall have no access to it. Every separate payment is to be recorded below:

	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19
	वह मास जिसके लिए पेंशन देय है Month for which pension is due	अदाय- अधिकारी के गियों की आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	अदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय- अधिकारी के आदाय-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मार्च March	अप्रैल April	मई May	जून June	जुलाई July	अगस्त August	सितम्बर September	अक्टूबर October	नवम्बर November	दिसम्बर December	जनवरी January	फरवरी February

*पेंशनभोगी की पहचान के बारे में टिप्पणी Note of Pensioner's Identification	तारीख Date	आदायकर Initials	तारीख Date								

*यदि अदायगी डाक मनीआडर द्वारा की जाय तो पहचान की आवश्यकता विहित रूप से वर्ष में दो बार अन्यथा एक बार होती है।
*If the payment is by Postal Money Order identification is required twice a year as prescribed otherwise annually.
प्रभासमु